(114)

339

12/16.1.14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर खंड पीठ रीवा सम्भाग रीवा

म0-प्र0

R-452-III/14

मनीष पाण्डेय तनय श्री दुर्गेश बिहारी पाण्डेय निवासी ग्राम दुलहरा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0-प्र0 ——— निगरानी कर्ता

श्री ..प्रतिताप्र.पाण्डेय.. एड० द्वारा आज दिनांक ..16-01-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1- रामसुमिरन बढ़ई
2- राममेलावन बढ़ई
3- राममिलन बढ़ई
4- रामवली बढ़ई

सभी के पिता स्व0भगवानदीन बढ़ई सभी नि0 ग्राम दुलहरा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0-प्र0

——— गैर निगरानीकर्ता गण

माननीय न्यायालय तहसील दार तहसील सिरमौर वृत्त सिरमौर जिला रीवा द्वारा रा0प्र0क्र0 15-अ-5/05-06 मे पारित आदेश दिनांक 6.1.14 के विरुद्ध निगरानी ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय तहसील दार तहसील सिरमौर वृत्त सिरमौर जिला रीवा म0-प्र0 द्वारा प्र0क्र0 15-अ-5/05-06 मे पारित आदेश दिनांक 6.1.14 विधिविरुद्ध प्रक्रिया के विपरीत तथा अधिकारिता विहीन होने के कारण निरस्त योग्य है।

2- यहकि प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि गैर निगरानीकर्ता गण रामसुमिरन और राममेलावन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसील दार तह0 सिरमौर के समक्ष म0-प्र0 भू राजस्व संहिता 1858 ई0 की धारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R452-III /14 जिला–रीवा

मनीष पाण्डेय/ राम सुमिरन बढ़ई

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त सिरमौर, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 15/अ–5/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	